

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**  
मांग संख्या 14

**डाक विभाग**

क. वसूलियों और राजस्व प्राप्तियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
<b>राजस्व</b>	22.84	1287.01	1309.85	19.42	1336.99	1356.41	23.27	1354.50	1377.77	
<b>पूंजी</b>	127.16	2.01	129.17	55.58	2.01	57.59	176.73	2.01	178.74	
<b>जोड़</b>	<b>150.00</b>	<b>1289.02</b>	<b>1439.02</b>	<b>75.00</b>	<b>1339.00</b>	<b>1414.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1356.51</b>	<b>1556.51</b>	
<b>डाक सेवाएं</b>										
<b>राजस्व भाग</b>										
1. सामान्य प्रशासन	3201	5.69	321.02	326.71	2.52	330.00	332.52	3.96	343.00	346.96
2. डाक सेवा नेटवर्क	3201	4.94	2729.49	2734.43	4.37	2881.39	2885.76	4.78	3005.00	3009.78
3. डाक की छंटाई	3201	0.40	425.00	425.40	0.33	425.00	425.33	0.45	431.00	431.45
4. डाक परिवहन	3201	...	395.00	395.00	...	475.00	475.00	...	424.00	424.00
5. एजेंसी सेवाएं	3201	...	145.53	145.53	...	149.00	149.00	...	155.00	155.00
6. लेखा और लेखा परीक्षा	3201	...	86.32	86.32	...	110.00	110.00	...	116.00	116.00
7. इंजीनियरिंग	3201	0.20	70.63	70.83	0.20	66.60	66.80	1.00	71.50	72.50
8. कर्मचारियों की सुविधाएं	3201	...	37.87	37.87	...	36.87	36.87	...	40.00	40.00
9. पेंशन	3201	...	1158.00	1158.00	...	1118.00	1118.00	...	1215.00	1215.00
10. लेखन-सामग्री और मुद्रण	3201	...	74.96	74.96	...	74.00	74.00	...	78.00	78.00
11. अन्य	3201	10.27	43.19	53.46	10.08	24.63	34.71	10.02	30.00	40.02
12. जोड़ राजस्व व्यय-डाक सेवाएं		<b>21.50</b>	<b>5487.01</b>	<b>5508.51</b>	<b>17.50</b>	<b>5690.49</b>	<b>5707.99</b>	<b>20.21</b>	<b>5908.50</b>	<b>5928.71</b>
13. घटाइए - प्राप्तियां	1201	...	-4200.00	-4200.00	...	-4353.50	-4353.50	...	-4554.00	-4554.00
14. निवल		21.50	1287.01	1308.51	17.50	1336.99	1354.49	20.21	1354.50	1374.71
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	1.34	...	1.34	1.92	...	1.92	3.06	...	3.06
<b>पूंजी भाग</b>										
1. डाक सेवा नेटवर्क	5201	9.68	2.00	11.68	8.53	2.00	10.53	9.20	2.00	11.20
2. प्रशासनिक कार्यालय	5201	2.30	...	2.30	2.30	...	2.30	2.00	...	2.00
3. कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	5201	10.50	...	10.50	3.72	...	3.72	4.00	...	4.00
4. यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण	5201	80.29	...	80.29	23.09	...	23.09	153.20	...	153.20
5. आरएमएस वेन्स	5201	15.00	...	15.00	12.38	...	12.38	...	...	...
6. अन्य	5201	1.75	0.01	1.76	0.35	0.01	0.36	1.43	0.01	1.44
7. सहकारी समितियों को ऋण*	7475	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	4552	7.64	...	7.64	5.21	...	5.21	6.90	...	6.90
<b>पूंजी भाग</b>		<b>127.16</b>	<b>2.01</b>	<b>129.17</b>	<b>55.58</b>	<b>2.01</b>	<b>57.59</b>	<b>176.73</b>	<b>2.01</b>	<b>178.74</b>
<b>कुल जोड़</b>		<b>150.00</b>	<b>1289.02</b>	<b>1439.02</b>	<b>75.00</b>	<b>1339.00</b>	<b>1414.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1356.51</b>	<b>1556.51</b>
* व्यवस्था 50 हजार रुपए से कम के लिए है।										
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.व.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.व.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.व.बा.सं.	जोड़
डाक सेवाएं	13201	150.00	...	150.00	75.00	...	75.00	200.00	...	200.00

डाक विभाग, जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है, देश में डाक सेवाओं की आयोजना, विकास, विस्तार, प्रचालन और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है। यह सरकार के अन्य विभागों के लिए अल्प बचत योजनाओं, डाक जीवन बीमा योजना आदि के संबंध में कुछ अभिकरण कार्य भी करता है। विभिन्न कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के लिए, विभाग के पास 5 डाक प्रशिक्षण केन्द्र और गाजियाबाद स्थित एक पोस्टल स्टाफ कालेज के अलावा 22 डाक परिमण्डलों का एक नेटवर्क है।

2. इस मांग में डाक विभाग के राजस्व और पूंजी व्यय के लिए व्यवस्था है। राजस्व भाग में, कार्यचालन व्यय के लिए व्यवस्था है, जिसमें एजेंसी सेवाओं के संबंध में व्यय और लेखा परीक्षा तथा पेंशन प्रभारों से संबंधित व्यय भी शामिल

है। डाक सेवाओं के राजस्व भाग में होने वाला निवल घाटा (अर्थात् सकल व्यय में से डाक आय को घटाकर) सरकार के सामान्य राजस्व से पूरा किया जाता है।

3. डाक विभाग देश में डाक नेटवर्क एवं प्रचालन के विभिन्न पहलुओं के विकास पर ध्यान देता है। अतः, विभाग की सभी आयोजना स्कीमों केंद्रीय स्कीम हैं। दसवीं योजना में आयोजना स्कीमों का मुख्य जोर विभिन्न कार्यों में प्रौद्योगिकी अपनाए जाने पर है, ताकि कार्यकुशलता एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करके नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाया जा सके तथा ग्राहकों के समक्ष आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सके। बजट अनुमान 2004-2005 में मुख्य कार्यकलाप सभी मुख्य डाकघरों तथा महत्वपूर्ण लेखा एवं प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग है। इसके लिए बजट अनुमान 2004-2005 में

19 आयोजना स्कीमों के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें 2.34 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता शामिल है।

4. बजट अनुमान 2003-2004 में 4200.00 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान 2003-2004 में 4353.50 करोड़ रुपए की तुलना में बजट अनुमान 2004-2005 में 4554.00 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया है।

5. इस वर्ष के बजट में डाक सेवाओं के सामान्य विकास और विस्तार की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2004-2005 के आयोजना परिव्यय में परिकल्पित मुख्य वास्तविक लक्ष्य मोटे तौर पर इस प्रकार हैं:-

- \* कम्प्यूटरीकरण - 339 मुख्य डाकघरों, 8 लेखा कार्यालयों तथा 5 प्रशासनिक कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना अभी शेष है तथा देश में 848 मुख्य कार्यालयों की नेटवर्किंग की जाएगी।
- \* 10 मुख्य रिकार्ड कार्यालयों, डाक कार्यालयों में 25 पंजीकरण छंटनी केंद्रों का कम्प्यूटरीकरण तथा पंजीकृत वस्तुओं के लिए 4 मैट्रो शहरों में ट्रेक एवं ट्रेस सुविधा की व्यवस्था करना।

- \* स्पीड पोस्ट के लिए 278 बुकिंग/वितरण कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, 18 स्पीड पोस्ट केंद्रों का उन्नयन तथा 130 केंद्रों में ट्रेक एवं ट्रेस सुविधाओं का उन्नयन।
- \* 6 परिमण्डल स्टाम्प डिपो का कम्प्यूटरीकरण।
- \* दिल्ली, मुंबई तथा कोच्ची में अंतर्राष्ट्रीय पार्सलों के लिए केंद्रों का विकास।
- \* नयी वित्तीय सेवाओं के आरम्भ के लिए सहायता पहुंचाने हेतु स्मार्ट कार्डों, बिक्री टर्मिनल केंद्रों तथा ग्राहक संबंध प्रबंधन सुविधाओं की व्यवस्था।
- \* ई.-पोस्ट, ई-बिल पोस्ट सदृश नयी सेवाओं के लिए सहायता।
- \* राष्ट्रीय आंकड़ा केंद्र तथा कोलकाता एवं दिल्ली में ए.एम.पी.सी. की स्थापना के लिए आधारभूत ढांचा के विकास के साथ ही एक्सप्रेस पार्सल डाक सहित पार्सलों के विशेषीकृत संचालन के लिए केंद्रों की स्थापना।
- \* 100 अतिरिक्त विभागीय शाखा कार्यालयों (ई.डी.बी.ओ.), 20 विभागीय उप डाकघरों (डी.एस.ओ.) को खोलने के साथ ही पूर्वोत्तर में गैर-वसूली योग्य संघटक (एन.आर.सी.) डाक घरों को सहायता देना।